

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 304 / 2015
संस्थित दिनांक 19.06.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
ठीकरी, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रु द्ध

लोकेन्द्र पिता भारत धनगर, आयु 23 वर्ष,
निवासी—ग्राम भोईन्दा,
तहसील कसरावद, जिला खरगोन

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री आर.के.श्रीवास

—: नि र्ण य :-

(आज दिनांक 05-08-2016 को घोषित)

01— आरोपी के विरुद्ध पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 96/2015 के आधार पर दिनांक 28.04.2015 को समय 19:45 बजे ग्राम कुआं-दवाना के मध्य मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 को लोक मार्ग पर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर अजय व महेश का जीवन संकटापन्न करने और उक्त मोटरसाईकिल से अजय की मोटरसाईकिल को टक्कर मारकर उसकी ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित करने, जो कि आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है, के आधार पर भादवि की धारा 279, 304-ए का अभियोग है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है तथा यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में आहत महेश ने अभियुक्त से भादवि की धारा 337 के अपराध में राजीनामा कर लिए जाने से अभियुक्त को उक्त अपराध में दोषमुक्त कर शेष अपराध धाराओं में ही यह निर्णय पारित किया जा रहा है।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 28.04.2015 को रात्रि 10 बजे महेश और अजय मोटरसाईकिल से जा रहे थे, मोटर, अजय चला रहा था और महेश पीछे बैठा था, कुआं और दवाना के बीच, दवाना की तरफ से एक मोटरसाईकिल चालक उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया और उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे वे दोनों गिर गए, फिर महेश ने पुलिस को फोन करके बुलाया और उन दोनों को उठाकर अस्पताल ले गए,

उनका ईलाज करवाया और बड़वानी में ईलाज के दौरान अजय की मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर मार्ग क्रमांक 28/2015 थाना ठीकरी में दर्ज कर जांच के दौरान यह पाया गया कि मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 के चालक ने उसकी मोटरसाईकिल को उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर अजय और महेश का जीवन संकटापन्न कर, उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी और दुर्घटना में गिरने से अजय की मृत्यु कारित हुई, जिस पर से थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 96/2015 दर्ज कर बाद सम्पूर्ण अनुसंधान अभियुक्त के विरुद्ध यह अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— उपरोक्त अनुसार अभियुक्त को भादवि की धारा 279, 304-ए के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां तैयार की जाकर उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है एवं बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05— प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 28.04.2015 को समय 19:45 बजे कुआं-दवाना के मध्य, हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर अजय व महेश का जीवन संकटापन्न किया ?
ब	क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल से अजय को टक्कर मारकर उसकी ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आती है ?

- विचारणीय प्रश्नों पर सकारण निष्कर्ष -

06— साक्ष्य के दोहराव को रोकने तथा दोनों ही विचारणीय प्रश्न एक-दूसरे से संबंधित होने से, सुविधा की दृष्टि से इनका एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

07— उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन साक्षी राजाराम सागौर (अ.सा.-7) ने दिनांक 03.05.2015 को थाना ठीकरी के मार्ग क्रमांक 28/2015 की जांच के उपरांत उसने मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 के चालक के विरुद्ध प्रपी-11 की रिपोर्ट दर्ज की, जिसके ए से ए एवं बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने फरियादी मगन की निशांदेही से घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-6 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसने कमल की निशांदेही से मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-46-एमएफ-1664 का नुकसानी पंचनामा प्रपी-4 बनाया, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं

फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लिए, अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके पेश करने पर मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 प्रपी-12 के अनुसार मय कागजात के जप्त की, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतक अजय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महेश की एक्स-रे रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न की।

08— बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे साक्षी मगन ने किसी वाहन का नंबर, तेजी एवं लापरवाही से चलाने वाले वाहन के रूप में नहीं बताया अथवा मगन ने उसे अज्ञात मोटरसाईकिल से टक्कर मारने की बात बताई थी। इस साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि साक्षीगण ने अपने कथन के दौरान वाहन का नंबर नहीं बताया अथवा उसने साक्षियों के कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अपने मन से लिख लिए। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि उसने असत्य प्रकरण बनाया है अथवा क्लैम का फायदा पहुंचाने के लिए असत्य विवेचना की है।

09— अभियोजन साक्षी महेश (अ.सा.-1), कमल (अ.सा.-2), मगन (अ.सा.-3) तथा सविताबाई (अ.सा.-4) ने मृतक अजय द्वारा मोटरसाईकिल चलाने और उसकी मोटरसाईकिल को सामने से आ रही मोटरसाईकिल द्वारा टक्कर मारने, दुर्घटना होने व अजय व महेश को चोट आने के संबंध में कथन किए हैं। उक्त चारों साक्षियों को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी महेश (अ.सा.-1) को अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उपस्थित अभियुक्त ने उनकी मोटरसाईकिल को टक्कर मारी थी अथवा अभियुक्त द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी। साक्षी कमल (अ.सा.-2) ने प्रपी-2 के सफीना फॉर्म, प्रपी-3 के मृतक अजय की लाश के नक्शा पंचायतनामा तथा प्रपी-4 के नुकसानी पंचनामे पर ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं तथा अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने पुलिस को प्रपी-5 के पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा उसके वाहन को तेज गति एवं लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मारने की बात लिखाई थी। साक्षी ने कूट परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने वयस्क पुत्र महेश की ओर से अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है, किन्तु इस सुझाव से इन्कार किया है कि अभियुक्त को बचाने के लिए वह असत्य कथन कर रहा है। साक्षी मगन (अ.सा.-3) ने भी अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर दिए गए इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि न्यायालय में उपस्थित अभियुक्त ने उसकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर अजय की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे उन्हें चोटें आईं। यहां तक कि, साक्षी ने प्रपी-7 के पुलिस कथन में मोटरसाईकिल का नंबर बताने से भी इन्कार किया है। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि महेश की ओर से उसके पिता कमल ने अभियुक्त से राजीनामा कर लिया है। इसी प्रकार साक्षी सविताबाई (अ.सा.-4) ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उनकी मोटरसाईकिल को पीछे से आ रही मोटरसाईकिल ने टक्कर मार दी थी। साक्षी ने प्रपी-8 के पुलिस कथन में भी उक्त बातें बताने से इन्कार किया है।

10— अभियोजन साक्षी डॉ. बबलू निगवाल (अ.सा.—5) ने दिनांक 28.09.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ठीकरी में आहत लोकेन्द्र पिता भारत, महेश पिता कमल, अजय पिता कमल, सविताबाई पति लोकेन्द्र का मेडिकल परीक्षण करने पर उन्हें प्रपी—9 में दर्शित चोटें होना पाते हुए साक्षी ने यह भी कथन किया है कि महेश पिता कमल की एक्स-रे प्लेट का परीक्षण करने पर उसे कोई अस्थिभंग होना नहीं पाया था।

11— अभियोजन साक्षी डॉ. अमीचंद चौहान (अ.सा.—6) का कथन है कि दिनांक 29.04.2015 को जिला चिकित्सालय बड़वानी में मृतक अजय पिता कमल भिलाला, आयु 25 वर्ष, निवासी काकरिया के शव का परीक्षण करने पर उसकी मृत्यु श्वास एवं धड़कन रुकने, अत्यधिक रक्तस्राव होने, शॉक व सिर में आई गम्भीर चोट के कारण होना पाते हुए शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी—10 को प्रमाणित किया है, जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किए हैं।

12— इस प्रकार उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी लोकेन्द्र द्वारा अभियोजन कथानक अनुसार घटना दिनांक, समय व स्थान पर घटना कारित करने वाले मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी—10—एमजे—4805 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर उसकी टक्कर मृतक अजय की मोटरसाईकिल को मारने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं। यहां तक कि, साक्षी महेश (अ.सा.—1) को अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उपस्थित अभियुक्त द्वारा उनकी मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी तथा किसी भी साक्षी ने पुलिस कथनों में टक्कर मारने वाली मोटरसाईकिल का नंबर बताने अथवा अभियुक्त की पहचान घटना के समय उक्त मोटरसाईकिल को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाने वाले के संबंध में नहीं की है। अतः ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर उक्त मोटरसाईकिल वाहन क्रमांक एमपी—10—एमजे—4805 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर अजय और महेश का जीवन संकटापन्न किया और उक्त प्रकार वाहन को चलाते हुए अजय की मोटरसाईकिल को टक्कर मार दी, जिससे उसकी की ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है।

13— अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त लोकेन्द्र पिता भारत धनगर, आयु 23 वर्ष, निवासी ग्राम भोईन्दा, तहसील कसरावद, जिला, खरगोन को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 279, 304—ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

14— अभियुक्त के जमानत—मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं तथा अभियुक्त की निरोध अवधि के संबंध में दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

15— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन हीरोहोण्डा मोटरसाईकिल क्रमांक एमपी-10-एमजे-4805 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर मय कागजात के है, जो अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर, उसके पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.

_Steno/S.Jain